1506

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

348463

पट्टानामा भूमि बराये 99 साला दिनांक 30.07.2007 ता 29.07.2106 तक वाक्या गांव नानूआना तहसील रानियां जिला सिरसा ।

जर पट्टा सालाना- बिलमुक्ता - 1000/- रूपये स्टाम्प- 150/- रूपये किता-3

स्टाम्प नं0 853 दिनांक 30.07.2007

(जारीकर्ता सुभाष चन्द्र, स्टाम्प वैन्डर, रानियां)

हम 1- उर्मिला पुत्री मांगें राम पुत्र श्योनाथ निवासी गांव नानूआना तहसील रानियां जिला सिरसा-फरीक अव्वल- पट्टा दहिन्दा वा विनोद कुमार दूहन पुत्र वजीर सिंह दूहन पुत्र संत लाल दूहन निवासी गांव नानूआना तहसील रानियां जिला सिरसा बतौर सचिव होली फैथ एजुकेशन सोसायटी, मईयर, जिला हिसार-पंजीकरण संख्या 527 दिनॉक 05.06.2002 फरीक द्वोयम-पट्टा गरिन्दा के है जोकि भूमि खेवट न0 214 मिन खतौनी नं0 319 मुरबा न0 26 किला न0 11/1/1(3.12) मुरबा न0 27 किला न0 15(8.0) खेवट न0242 मुरबा नं0 26 किला न0 10/2/2(0.18) मुरबा न0 27 किला न0 6(8.0) कुल तदादी रकबा 20 कनाल 10 मरला जमाबन्दी साल 2003-04 हिस्सेदारी मलकियती मकबूजा बरूये इंतकाल न0 1235 मन्जूरशुदा दिनॉक 30.03.2005 फरीक अव्वल बरूऐ वसीका बयनामा नम्बर 3703 रजिस्टरीशुद्धा दिनॉक 12.01.2005 महकमा सब रजिस्टार रानियां बिलावार वा बिला तनाजा है । फरीक अव्वल को हर प्रकार से इंतकाल भूमि का हक हासिल है । कोई कानूनी रूकावट पट्टा करने में ना है । कोई तनाजा सरप्लस सीलिंग हरियाणा प्रान्त में ना है । उपरोक्त भूमि किसी हुकम अदालत, महकमा, बैंक या फर्म के जेर असर ना है । सो फरीक अव्वल ने उपरोक्त भूमि 20 कनाल 10 मरला किस्म चाही अपनी स्थिर बुद्धि वा होश हवास से फरीक द्वोयम को बराये 99 साल अज दिनॉक 30.07.2007 ता 29.07.2106 तक के लिए निम्नलिखित शर्तो पर पटटा पर दिया है

जारी-2

उर्मिला पटटा दहिन्दा

853 30/07/07
No. ...
Name Urmila
S/o. D/o. Manga Ram R/. Nanuana
Affi. Agriment ... 1
Through ... Self

SUBHASH ... ABOJ
Stamp Vendor ...

प्रलेख नः 1506

दिनाँक 30/07/2007

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE
तहसील/सब-तहसील रानिया
गांव/शहर नानुआना

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 1,000.00 रुपये

स्टाम्प डयूटी की राशि 150.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 30/07/2007 दिन सोमवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी उर्मिला पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मांगेराम निवासी नानुआना द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता Urmila

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
रानिया

श्री उर्मिला

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी विनोद कुमार दुहन पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी हेतराम नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी नानुआना व श्री/श्रीमती/कुमारी महावीर राम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी नानुआना ने की।
साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 30/07/2007

Urmila

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
रानिया

हेतराम

Mahabir

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

348462

1- यह है कि उपरोक्त रकबा का सालाना जर पट्टा मुबलिग- 1,000/- रूपये बिलमुक्ता सालाना तय हुआ है जिसे फरीक दोयम फरीक अव्वल को सालाना 1 अप्रैल माह की पहली तारीख को जर पट्टा मुबलिंग - 1000/- रूपये नगद अदा करने का पाबन्द रहेगा तथा फरीक अव्वल से रसीद लेता रहेगा । जबानी मुजरई ना होगा ।

2- यह है कि फरीक अव्वल ने कब्जा फरीक दोयम को मौका पर सम्भाल दिया है जो कि फरीक अव्वल के कब्जा काश्त में है जिसे फरीक दोयम बाद समाप्ति मियाद बिना किसी उजर वापिस हवाले फरीक अव्वल करने का पाबंद रहेगा ।

3- यह है कि फरीक दोयम उपरोक्त रकबा में स्कूल की बिल्डिंग बनाए, तामीर करे, खेल मैदान बनाए, टेलीफोन लगाए, बिजली कनैक्शन लेवे, पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल लगाए, फरीक दोयम उपरोक्त रकबा पर एजुकेशन सोसायटी चलाने के लिए किसी भी प्रकार की तामीर करना चाहे तो फरीक अव्वल का कोई एतराज ना होगा ।

4- यह है कि फरीक दोयम उपरोक्त रकबा को किसी को आगे सबलैट ना कर सकेगा ।

5- यह है कि यदि फरीक दोयम समय पर जर पट्टा अदा ना करेगा तो फरीक अव्वल को बजरिया अदालत दीवानी अपना जर पट्टा वसूल करने का हक होगा लेकिन उसे मियाद मुकर्र से पूर्व फरीक दोयम को बेदखल करने का हक ना होगा ।

6- यह है कि यदि बाद समाप्ति मियाद फरीक अव्वल को उपरोक्त रकबा का कब्जा बजरिया अदालत फरीक दोयम से वापिस लेना पड़े तो दावा की सूरत में तमाम हर्जा-खर्चा जिम्मे फरीक दोयम होगा जो उसकी जात वा दीगर जायदाद से वसूल हो सकेगा ।

उर्मिला पट्टा दहिन्दा

जारी-3

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1,506	2007-2008	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला	उर्मिला	
पटटा लेने वाला	विनोद कुमार दुहन	
गवाह	हेतराम नम्बरदार	
गवाह	महावीर राम	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1,506 आज दिनाँक 30/07/2007 को बही नः 1 जिल्द नः 60 के पृष्ठ नः 101 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,417 के पृष्ठ सख्या 46 से 47 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 30/07/2007

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
रानिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

34846

7- यह है कि हर दो फरीकैन के कायम मुकामान वा वारसान भी इस पट्टानामा की उक्त शर्तों को मानने के पाबंद रहेगें ।

लिहाजा यह पट्टानामा भूमि हर दो पक्षों की सहमति से लिखवा दिया है कि प्रमाण रहे । दिनांक 30.07.2007 विषय मजमून पढ़कर सुनाया व समझाया गया । सुन व समझ कर सही माना गया । पवन कुमार कालड़ा वसीका नवीस, रानियां । 97

विनोद कुमार ढूहन बतौर सचिव
Holy Faith Education Society,
Mayyar Distt. Hisar
पट्टा गरिन्दा

उर्मिला --- फरीक अव्वल
पट्टा दहिन्दा

हेतराम

गवाह नं0 1- हेत राम नम्बरदार
नानूआना तहसील रानियां

गवाह नं02- महावीर राम पुत्र लाधू राम
निवासी गांव नानूआना तहसील रानियां

Mahabir Ram

पवन कुमार कालड़ा
वसीका नवीस रानियां (सिरसा)
क्रमांक 97 दिनांक 30/7/07